राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 17(4)कार्मिक/क–2/2014 जयपुर, दिनांकः 11/05/2022

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः– राज्य के समस्त निगम/बोर्ड/उपक्रम/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशाषी संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक (क–2) विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 से जारी नियमों को एडॉप्ट करने के संबंध में

राज्य सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विभिन्न विभागीय योजनाओं/परियोजनाओं/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाओं आदि का संचालन किया जाता है। उक्त कार्यक्रमों की क्रियान्विति हेतु विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ ही एक निश्चित अवधि के लिए मानव शक्ति की भी आवश्यकता होती है।

इस संबंध में आपका ध्यान इस विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 की ओर आकर्षित किया जा रहा है जिसके द्वारा ऐसे कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त करने हेतु नियम बनाये गये है। वित्त विभाग के पत्र कमांक प. 13(10)वित्त/नियम/2022 दिनांक 10.03.2022 द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु सख्या 128 की क्रियान्विति हेतु उक्त नियम, 2022 को संबंधित स्वायत्तशाषी संस्था के Governing Board की प्रथम बैठक में एडोप्ट किया जाकर संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाये जाने हेतु निर्देश दिये है।

अतः समस्त विभागों/निगम/बोर्ड/उपक्रम/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशाषी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति की जाकर पालना रिपोर्ट को इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

9/5/22
(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
5. रक्षित पत्रावली

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव